194

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्षः— श्री एम0के0 सिंह
सदस्य

प्रकरण क्रमांक निगरानी 2192—दो/2006 के विरूद्ध पारित आदेश दिनांक 24—08—2006 के द्वारा न्यायालय अपर आयुक्त चम्बल संभाग मुरैना के प्रकरण क्रमांक 84/2005—06/निगरानी.

———

बेनीराम पुत्र बद्री प्रसाद ब्राहम्ण
निवासी ग्राम जारी तहसील व
जिला भिण्ड म0प्र0

——— आवेदक

विरूद्ध

1—दीनदयाल पुत्र सोनपाल (मृतक) वारिसान :—

अ— महिपत पुत्र दीनदयाल (मृतक) वारिसान :—

1— रामबेटी पत्नी महीपत मृत नाम विलोपित किया।
2— रामऔतार पुत्र महीपत
3— नाथूराम पुत्र महीपत
4— साधना पुत्री महीपत पत्नी संतोष शर्मा
समस्त निवासीगण ग्राम जारी तहसील
व जिला भिण्ड म0प्र0

ब— रामस्वरूप पुत्र दीनदयाल

स— रमेश पुत्र दीनदयाल
निवासीगण ग्राम नसीहा गली न0 1
भिण्ड म0प्र0

द— रामकली पुत्री दीनदयाल पत्नी
जगत नारायण पचोरी निवासी
ग्राम जारी तहसील व जिला भिण्ड

2— ओम प्रकाश पुत्र रामस्वरूप मृतक वारिसान :—
1— मंजू पत्नी ओम प्रकाश
2— रिंकू मुदगल पुत्र ओमप्रकाश
3— रिंकी पुत्री ओमप्रकाश

4– रूची पुत्री ओमप्रकाश
समस्त निवासीगण ग्राम जारी
तहसील व जिला भिण्ड म0प्र0
3– ओंकार पुत्र रामस्वरूप
4– वेदप्रकाश पुत्र रामस्वरूप
अनावेदक 2 लगायत 5 जैन नसिया स्कूल
के पास गली न0 1 भिण्ड म0प्र0

———अनावेदकगण

श्री एस0के0 अवस्थी, अभिभाषक, आवेदक
श्री अजय शर्मा अभिभाषक, अनावेदक क्र–1 ब
श्री आर0 डी0 शर्मा अभिभाषक अनावेदक क्र–4

आदेश

(आज दिनांक 8-2-2017 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी न्यायालय अपर आयुक्त चम्बल संभाग मुरैना द्वारा पारित आदेश दिनांक 24–08–2006 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959 (संक्षेप में आगे जिसे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है ।

2–प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि तहसील भिण्ड ग्राम जगन्नाथपुरा में स्थित विवादित भूमि सर्वे कमांक 11 रकवा 1 बीघा 17 विस्वा सर्वे कमांक 12 रकवा 2 बीघा 4 विस्वा तथा सर्वे कमांक 26 रकवा 1 बीघा 9 विस्वा जो कि कागजात पटवारी में चरनोई के रूप में दर्ज है को काबिल कास्त हेतु एक आवेदन पत्र अनुविभागीय अधिकारी भिण्ड के समक्ष अनावेदकगण दीनदयाल द्वारा पेश किया गया। अनुविभागीय अधिकारी भिण्ड द्वारा प्रकरण कमांक 42/70–71/237 पर दर्ज किया जाकर विवादित भूमि को काविल काश्त घोषित करने वावत अनुशंसा कलेक्टर जिला भिण्ड को की और कलेक्टर जिला भिण्ड द्वारा दिनांक 8.7.1971 द्वारा विवादित भूमि को संहिता की धारा 237 के अन्तर्गत काविल काश्त घोषित हो जाने के कारण अनावेदकगण द्वारा पटटे पर भूमि प्राप्त करने वावत आवेदन पत्र पेश किया । तहसीलदार भिण्ड द्वारा दिनांक 31.12.73 को अनावेदकगण को पटटा प्रदान किया गया।

तहसीलदार भिण्ड द्वारा प्रकरण कमांक 1/72–73/अ–19 में पारित आदेश दिनांक 31.12.73 को अपास्त करने वावत आवेदकगण द्वारा एक शिकायती आवेदन पत्र कलेक्टर जिला भिण्ड को दिनांक 6.7.93 को पेश किया। आवेदन पत्र में अनुरोध किया गया कि प्रकरण को स्वमेव निगरानी में लिया जाकर अनावेदकगण को पदत्त पटट्ा निरस्त किया जावे और विवादित को चरनोई भूमि घोषित की जावे। कलेक्टर जिला भिण्ड ने प्राप्त आवेदन पत्र के आधार पर प्रकरण कमांक 18/94–95 निगरानी पर दर्ज किया गया कलेक्टर जिला भिण्ड द्वारा प्रस्तुत निगरानी इस आधार पर पारित आदेश दिनांक 18.3.96 से निरस्त की गई कि आवेदक द्वारा 20 वर्ष वाद तथ्यों को उजागर किया गया है इतने समय पश्चात किसी प्रकार की वैधानिक कार्यवाही बहुत विवादों को उत्पन्न करेगी। कलेक्टर जिला भिण्ड के आदेश से परिवेदित होकर अपर आयुक्त चंबल संभाग मुरैना के न्यायालय में निगरानी प्रस्तुत की जो उनके द्वारा दिनांक 24.8.2006 को निरस्त की गई इससे से दुखी होकर यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3–आवेदक अधिवक्ता का तर्क है कि अनावेदकगण द्वारा अनुविभागीय अधिकारी भिण्ड की न्यायालय में एक आवेदन अन्तर्गत धारा 57 म0प्र0 भू–राजस्व संहिता इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि वह विवादित भूमि पर संवत 2007 से कागजात सरकारी में दर्ज है उसे जमींदारी उन्मूलन के पश्चात पक्का कृषक के रूप में दर्ज करने की बजाय भूमि चरनोई दर्ज कर दिया है इस कारण प्रार्थी का नाम पक्का कृषक के रूप में चरनोई विलोपित कर दर्ज किया जाने का निवेदन किया था, अनुविभागीय अधिकारी ने आवेदन पर विधिवत विचारण करने के पश्चात पाया कि आवेदन राजस्व अभिलेख के अनुसार प्रमाणित नहीं है, इस कारण आदेश दिनांक 1.12.1961 के द्वारा आवेदन निरस्त किया गया। आवेदक अधिवक्ता द्वारा यह भी अपने तर्क में कहा है कि अनावेदक द्वारा 1.12.1961 के विरूद्व आयुक्त महोदय के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की जो उनके द्वारा दिनांक 30.4.64 को निरस्त कर दी । इस आदेश से परिवेदित होकर न्यायालय राजस्व मण्डल में प्रस्तुत किया न्यायालय राजस्व मण्डल द्वारा भी जमींदार द्वारा पटट्ा प्रमाणित ना किये जाने से व लगान की रसीद प्रस्तुत ना किये जाने से तथा 2007 से पूर्व काबिज कास्त प्रमाणित ना होने से निगरानी निरस्त कर दी। अनावेदकगण द्वारा पुनः नये सिरे से विवादित भूमि के संबंध में एक आवेदन उसकी नोहियत

चरनोई से काबिल कास्त में तब्दील किये जाने हेतु कार्यवाही आरंभ की और दिनांक 11.5.1971 को एक आवेदन प्रस्तुत कर यह सहायता चाही कि विवादित भूमि से चरनोई नोहियत हटाया जाकर काबिल कास्त भूमि म0प्र0 भू–राजस्व संहिता की धारा 237 (2) के अन्तर्गत की जाय जो कलेक्टर जिला भिण्ड द्वारा प्रकरण कायम कर दिनांक 8.7.1971 के द्वारा स्वीकार किया और भूमि को विधिवत आवंटन के लिये आदेश पारित किया। आवेदक अधिवक्ता द्वारा यह भी तर्क दिया है कि कलेक्टर जिला भिण्ड द्वारा नोहियत बदलने से पूर्व सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया एवं ग्राम का कोई जमीन का 10 प्रतिशत चरनोई के लिये सुरक्षित रखा जाना अनिवार्य था लेकिन इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया। नायब तहसीलदार द्वारा बिना कोई आपत्ति बुलाये 31.12.73 को भूमि व्यवस्थापन किये जाने के आदेश पारित कर दिये जिसका कोई ज्ञान ग्रामवासियों को नहीं हुआ। आवेदक अधिवक्ता द्वारा अपने तर्क में यह भी कहा है कि शिकायतकर्ता /निगरानीकर्ता बेनीराम ने उक्त तथ्य का खुलासा करते हुये तथा पूर्व पारित आदेशों की प्रतियां प्रस्तुत कर दिनांक 31.12.73 के आदेश को निरस्त करने हेतु कलेक्टर जिला भिण्ड को आवेदन प्रस्तुत किया लेकिन उनके द्वारा 20 वर्ष से पूर्व का होने के कारण आवेदन निरस्त कर दिया गया। आवेदक अधिवकता का तर्क है कि अपर आयुक्त द्वारा पारित आलोच्य आदेश दिनांक 24.8.06 त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त करने का अनुरोध किया गया है। अंत में उनके द्वारा निवेदन किया गया है कि आवेदक द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की जावे एवं अधीनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त किया जावे।

4–अनावेदक अधिवक्तागण द्वारा अपने तर्क में कहा गया है कि आवेदक शिकायत करने का आदी है और वह जानबूझकर अनावेदकगण को परेशान कर रहा है यदि आवेदक को तहसीलदार भिण्ड द्वारा प्रदत्त पटटे से किसी प्रकार की कोई परेशानी थी तो उसे उसी समय अपीलीय न्यायालय में अपील प्रस्तुत करनी चाहिये थी और उसी समय विधिवत कार्यवाही करना चाहिये थी, किन्तु अब 20 वर्ष के पश्चात आवेदन पेश करना इस बात को साफ तौर पर इंगित करता है कि अनावेदकगण को किसी प्रकार से परेशान किया जावे। अनावेदकगण के अधिवक्तागण द्वारा अपने तर्को में कहा गया है कि प्रकरण को स्वमेव निगरानी में लेने की विधिवत प्रकिया है एवं उसके लिये समय सीमा निर्धारित है। इतने समय पश्चात स्वमेव

निगरानी में लेने का कोई औचित्य नहीं है। इस संबंध में संहिता की धारा 50 के अन्तर्गत प्रकरण को स्वयमेव निगरानी में लेने के संबंध में अनेक न्याय दृष्टांत प्रतिपादित किये गये हैं, जिसमें एक वर्ष का समय निर्धारित किया गया है। अनावेदक अधिवक्तागण द्वारा बताया गया है कि प्रकरण में तो 20 वर्ष पश्चात आवेदन प्रस्तुत किया गया है जो शिकायत के रूप में है। वैसे भी शिकायतकर्ता को निगरानी करने का कोई अधिकार नहीं है, इस संबंध में उनके द्वारा **राजस्व निर्णय 1992 पृष्ठ 402 तथा राजस्व निर्णण 1994 पृष्ठ 61 में प्रतिपादित न्यायिक सिद्वांतों का ध्यान आकर्षित कराया गया।** इसलिये कलेक्टर जिला भिण्ड एवं अपर आयुक्त चंबल संभाग मुरैना का आदेश विधि संवत है। अंत में उनके द्वारा निवेदन किया गया है कि आवेदक द्वारा प्रस्तुत निगरानी बलहीन होने से निरस्त करने का अनुरोध किया गया है।

5– मेरे द्वारा उभयपक्ष अभिभाषकों के तर्को का अवलोकन किया गया था तथा अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेखों का अध्ययन किया गया । अभिलेख के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि निगरानी प्रचलन योग्य है अथवा नहीं। इसी न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 पुनरीक्षण का अधिकार म0प्र0 कृषि प्रयोयजन के लिये उपयोग की जा रही दखल रहित भूमि पर भूमि पर भूमिस्वामी अधिकारों का प्रदान किया जाना (विशेष उपबंध) अधिनियम 1984 के अन्तर्गत कार्यवाहियां –राज्य सरकार और भूमि का दावा करने वाले व्यक्ति के बीच है–कोई व्यक्ति कार्यवाहियों में पक्षकार नहीं–ऐसे व्यक्ति को निगरानी प्रस्तुत करने का अधिकार नहीं। इससे स्पष्ट होता है कि विचारण न्यायालय में आवेदक/ निगरानीकर्ता आवश्यक पक्षकार ही नहीं था। इसी तहर से **राजस्व निर्णय 1984 पृष्ठ 61 मुरारीलाल तथा अन्य विरूद्व म0प्र0 राज्य तथा अन्य में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 स्वप्रेरणा से पुनरीक्षण कार्यवाहियां–अर्थ–शिकायत के आधार पर प्रारंभ की गई कार्यवाहियां ऐसी कार्यवाहियां पुनरीक्षण हेतु आवेदन पर संस्थित की गई कार्यवाहियां नहीं मानी जा सकती।**

6– उपरोक्त विवेचना के आधार पर मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि कलेक्टर जिला भिण्ड के प्रकरण कमांक 18/94–95/निगरानी में पारित आदेश दिनांक 18.3.96 एवं अपर आयुक्त चंबल संभाग मुरैना का प्रकरण कमांक 84/2005–2006/निगरानी में पारित आदेश दिनांक 24.8.2006 विधि प्रावधानों से उचित होने से किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं समझता हूँ। परिणामस्वरूप आवेदक द्वारा प्रस्तुत निगरानी बलहीन होने से निरस्त की जाती है।

(एम0के0 सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर